



# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला - बेमेतरा (छ.ग.)



ईमेल : [dio.bemetara@gmail.com](mailto:dio.bemetara@gmail.com), [bemetaracmho@yahoo.com](mailto:bemetaracmho@yahoo.com)  
फोन नं. 07824-222108,308

पत्र क्रमांक/टीकाकरण/वि.सू./2017/3342  
प्रति,

बेमेतरा दिनांक. 10/11/2017.

जनसंपर्क अधिकारी (विज्ञापन शाखा)  
जिला बेमेतरा(छ.ग.)

विषय :- अनुपयोगी आईएलआर एवं डीप फिज की विक्रय सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किय जाने के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में संचालित समस्त कोल्ड चैन प्वाइंट में उपयोग किये जा रहे आई एल आर एवं डीप फिज में से अनुपयोगी उपकरणों का विक्रय सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना है, जिस हेतु प्रकाशन का प्रारूप निम्नानुसार है:-

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बेमेतरा छ.ग.  
-: विक्रय सूचना :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा के टीकाकरण शाखा में अनुपयोगी आई.एल.आर. एवं डीप फिज को विक्रय किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया है, अधिक जानकारी हेतु जिला बेमेतरा की वेबसाइट [www.bemetara.gov.in](http://www.bemetara.gov.in) का अवलोकन करें।

प्रारूप संलग्न

*Spshasana 10.11.17*  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)  
बेमेतरा दिनांक. 10/11/2017.

पू.पत्र क्रमांक/टीकाकरण/वि.सू. /2017/3343  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला बेमेतरा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. राज्य टीकाकरण अधिकारी, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला बेमेतरा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला NIC, बेमेतरा छ.ग. को जिले की वेबसाइट [www.bemetara.gov.in](http://www.bemetara.gov.in) में विक्रय सूचना दिशा निर्देश अपलोड किये जाने हेतु सादर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

*Spshasana 10.11.17*  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)



# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – बेमेतरा (छ.ग.)



राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिला बेमेतरा में संचालित समस्त कोल्ड चैन प्वाइंट के अनुपयोगी उपकरणों को विक्रय किया जाना है, जिसके लिए विक्रय समिति के द्वारा निर्धारित दर अनुसार ही उपकरणों को विक्रय किया जायेगा है। जिस हेतु कोल्ड उपकरणों को विक्रय किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जा रहा है, अनुपयोगी उपकरण आई.एल.आर. एवं डीप फिज को विक्रय किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है:-

## परिशिष्ट - "अ"

### दिशा निर्देश

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा के अंतर्गत संचालित कोल्ड चैन प्वाइंट से कुल 11 नग अनुपयोगी आई.एल.आर एवं डीप फिज है, जिन्हे विक्रय किया जा रहा है।
02. विक्रय होने वाले 11 उपकरणों में से 08 नग आई. एल. आर (कम्प्रेसर सहित) एवं 03 नग डीप फिज (कम्प्रेसर सहित) है, जिसके विक्रय मुल्य दिशा निर्देश क्र 06 में संक्षिप्त में दिया गया है।
03. कोटेशन निश्चित प्रारूप में भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 20/11/2017 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
04. विक्रय होने वाले उपकरणों की स्थिति का अवलोन एवं कोटेशन से संबंधी अन्य किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो कर लिया जा सकता है।
05. कोटेशन खोले जाने की तिथि : 20/11/2017 को सायं 03.00 बजे स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निर्धारित है।
06. जिला स्तरीय विक्रय समिति द्वारा कम्प्रेसर लगे हुए आई.एल.आर. व डीप फिज को 500रु. प्रति नग न्यूनतम दर एवं बिना कम्प्रेसर लगे हुए आई.एल.आर व डीप फिज को 300रु प्रति नग. न्यूनतम विक्रय दर निर्धारित किया गया है।
07. जिला स्तरीय विक्रय समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक (बढते क्रम में) दर में विक्रय किया जावेगा।
08. कोटेशन चयन प्रक्रिया L1 प्रकृति आधार पर की जावेगी।
09. परिशिष्ट - (ब) बंद लिफाफे में के साथ जमा किया जावे।
10. कोटेशन खुलने के पश्चात प्राप्त सभी कोटेशन का तुलनात्मक तालिका तैयार होने के उपरांत विक्रय समिति के निर्देशानुसार सबसे अधिक दर वाले क्रयकर्ता/फर्म को चयन करते हुए समाग्री विक्रय किया जायेगा।
11. विक्रय किये जाने वाले उपकरणों में देय राशि का डिमांड ड्राफ्ट/चेक **DHS Bemetara Routine Immunization** के नाम से भुगतान किया जाना होगा।
12. सफल कोटेशन प्राप्त करने वाले क्रयकर्ता/फर्म/संस्था को कुल 11 नग आई.एल.आर. व डीप फिज उपकरणों कोटेशन में चयनित क्रयकर्ता/फर्म/संस्था को क्रय किया जाना होगा।
13. कोटेशन मिलने वाले फर्म/क्रयकर्ता द्वारा उक्त उपकरणों को इस कार्यालय से अपने निजी स्थान पर ले जाने हेतु कार्यालय द्वारा वाहन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था नही की जावेगी समाग्री को ले जाने हेतु स्वयं की व्यवस्था कर ले जाना होगा।
14. कोटेशन जमा किये जाने की तिथि, विक्रय किये जाने की तिथि में आंशिक परिवर्तन होने की स्थिति में, विसंगति की स्थिति में एवं न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति में उपकरणों का विक्रय निरस्त करने का अधिकार विक्रय समिति के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. अनुपयोगी उपकरणों को विक्रय किये जाने में किसी भी प्रकार तिथि व दिशा निर्देश में परिवर्तन करने का अधिकार विक्रय समिति के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

Sk. Sharma 10.11.17





कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला – बेमेतरा (छ.ग.)



परिशिष्ट – “ब”

(कोल्ड चैन प्वाइंट से अनुपयोगी आई.एल.आर. एवं डीप फ्रिज को विक्रय करने हेतु)

कोटेशन प्रपत्र

(एक अलग सीलबंद लिफाफे में संलग्न करें)

क्रयकर्ता/फर्म द्वारा कोटेशन निम्नानुसार दिया जावे –

क्र.	विवरण	
1	फर्म/संस्था/क्रयकर्ता का नाम	
2	फर्म/संस्था/क्रयकर्ता का पता	
3	मोबाइल नंबर	
4	एस.टी.डी. कोड के साथ फोन नंबर	
5	ईमेल पता	
6	कम्प्रेसर के साथ (ILR)उपकरण का निर्धारित न्यूनतम मुल्य 500 रु./प्रति नग	क्रयकर्ता /फर्म द्वारा दिया गया मुल्य <input type="text"/>
	बिना कम्प्रेसर के साथ (ILR)उपकरण का निर्धारित न्यूनतम मुल्य 300 रु./प्रति नग	क्रयकर्ता /फर्म द्वारा दिया गया मुल्य <input type="text"/>
7	कम्प्रेसर के साथ (DF)उपकरण का निर्धारित न्यूनतम मुल्य 500 रु./प्रति नग	क्रयकर्ता /फर्म द्वारा दिया गया मुल्य <input type="text"/>
	बिना कम्प्रेसर के साथ (DF)उपकरण का निर्धारित न्यूनतम मुल्य 300 रु./प्रति नग	क्रयकर्ता /फर्म द्वारा दिया गया मुल्य <input type="text"/>

हस्ताक्षर/मोहर  
क्रयकर्ता/फर्म/संस्था

नाम .....

पता .....

मोबा. ....